बिहार सरकार
वित्त विभाग

संकल्प

विषयः— **वित्त विभागीय अधिसूचना सं0—1030 दिनांक—03.11.2016 के निर्गत तिथि के पूर्व के मामलों को भी बिहार पेंशन नियमावली,1950 के नियम 169(क) के प्रावधान से आच्छादित करते हुए वित्तीय लाभ अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रदान करने के संबंध में ।**

वित्त विभागीय अधिसूचना सं0—1030 दिनांक—03.11.2016 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली, 1950 में नया नियम 169(क) निम्नवत् जोड़ा गया :—

''169(क) ऐसे भूतपूर्व सैनिक कर्मी के मृत्योपरांत जिन्हें सैनिक एवं असैनिक सेवा हेतु दोहरा पेंशन अनुमान्य है; उनके आश्रितों को भी दोहरा पारिवारिक पेंशन का लाभ अनुमान्य होगा ।''

2. उल्लेखनीय है कि बिहार पेंशन नियमावली के नियम 169(क) के प्रावधान रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के ज्ञापांक— 01(05)/2010—D दिनांक—17.01. 2013 के अनुरूप ही अंगीकृत किये गये हैं । भारत सरकार के उक्त पत्र में पूर्व के मामलों को आच्छादित किया गया है, लेकिन वित्तीय लाभ आदेश निर्गत की तिथि से अनुमान्य किया गया है ।

3. कतिपय न्यायाधीन मामलों के परिप्रेक्ष्य में अधिसूचना निर्गत की तिथि 03.11.2016 से पूर्व के मामलों को उक्त नियम से आच्छादित करने का विषय सरकार के समक्ष विचाराधीन था ।

4. सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वित्त विभागीय अधिसूचना सं0—1030 दिनांक—03.11.2016 के निर्गत तिथि के पूर्व के मामलों को भी बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 169(क) के प्रावधान से आच्छादित करते हुए वित्तीय लाभ अधिसूचना निर्गत की तिथि 03.11.2016 से प्रदान किया जाएगा ।

आदेशः— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/—
(मुकेश कुमार लाल)
सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक—वि0(27)—पे0को0—36/2016 - 1152(पें0) पटना, दिनांक— 11.11.2022

प्रतिलिपिः—सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/महालेखाकार, बिहार, पटना /सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

A.G.
18 NOV 2022

(मुकेश कुमार लाल)
सरकार के विशेष सचिव ।